20 अगस्त, 2021 कार्यकारी आदेश 2021-19

कार्यकारी आदेश 2021-19
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 86)

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, जो 1,480,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 23,700 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

जबकि, कोरोनावायरस का डेल्टा संस्करण, पहले के परिसंचारी उपभेदों की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक संक्रामक है, और वायरस के प्रसार को रोकने और धीमा करने के लिए चल रहे प्रयास में नए जोखिम पैदा करता है; और,

जबकि, डेल्टा संस्करण वायरस के पिछले उपभेदों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है; और,

जबकि, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) का अनुमान है कि डेल्टा संस्करण के कारण अब अमेरिका में सभी अनुक्रमित कोरोनावायरस का परिमाण 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

जबकि, CDC यह सलाह देना जारी रखे हुए है कि कपड़े के फेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

जबकि, CDC की सलाह के अनुसार, स्कूलों को K-12 स्कूलों में COVID-19 की रोकथाम के लिए CDC के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए और भवनों के अंदर मास्क पहनने सहित, अपने क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम का पता लगाने के लिए स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करना चाहिए; और,

जबकि, CDC ने यह सलाह देना जारी रखा है कि डे केयर प्रदाताओं को चाहिए कि उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और,

जबकि, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान कोविड-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 23,700 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान के कारण और दसियों हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और एक महत्वपूर्ण संख्या में व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; और,

जबकि, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; तथा,

जबकि, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एगरीकलचर (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए डेड एनीमल डिस्पोज़ल एक्ट (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो कोविड-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक का छिड़काव करने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण के संचालन के लिए नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

जबकि, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर कोविड-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए बिज़नेस इंटरप्पशन ग्रांट प्रोग्राम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, 20 अगस्त, 2021 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मुझे कार्यकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, 2021-13, और 2021-18, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा समाविष्ट करता हूं;

अतः, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), और 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 20 अगस्त , 2021 से प्रभावी होगा:

<u>भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः जारी किया जाना।</u>

सरकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, 2021-13, और 2021-18 को निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

<u>कार्यकारी आदेश 2020-04 (राज्य कर्मचारियों के लिए रोग अवकाश आवश्यकता की समाप्ति):</u>

सरकारी आदेश 2020-04 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-09 के अनुभाग 9 और 10, जो कि कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित हैं, को पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्श्नज़ (Illinois Department of Corrections) अधिसूचना अवधि):</u>

सरकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुविनायल जस्टिस (Illinois Department of Juvenile Justice) अधिसूचना अवधि:</u>

सरकारी आदेश 2020-12 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल कोड (Illinois School Code) के उपबंधों का स्थगन):</u>

सरकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):</u>

सरकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-21 इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्श्नज़ (llinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश</u>

सरकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल एंड प्रोफैश्नल रेगुलेशन (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्यवाहियां):</u>

सरकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्वसिज़ फोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Program); इलिनॉय मिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्वसिज़ (Illinois Department of Human Services) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल:</u>

सरकारी आदेश 2020-24 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):</u>

सरकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-30 (समाप्त (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय ह्युमन राइटज़ कमीशन (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):</u>

सरकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5, और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह लाइसेंसिज़):</u>

सरकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):</u>

सरकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2, और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-45 (केनाबिस लाइसेंस):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावी रहेगा।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करैक्श्नज़ में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):</u>

सरकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-68 (केनाबिस रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):</u>

कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स):</u>

सरकारी आदेश 2021-03 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):</u>

कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-12 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-13 (आवासीय निष्कासन स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2021-14 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-13 के अनुभाग 1, 4, 5, 7 और 8 को फिर से जारी और **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-13 को निम्नवत संशोधित और सुधारित किया जाता है:

अनुभाग 9. इस कार्यकारी आदेश में कुछ भी किसी व्यक्ति या संस्था को एक किरायेदार, पट्टेदार, उप-पट्टेदार, या निवासी की अदालत में घोषणा की सत्यता को चुनौती देने से बेदखली या स्वामित्व की कार्रवाई करने के कानूनी अधिकार से नहीं रोकेगा, जैसा कि कानून और लागू न्यायालय के नियमों द्वारा अनुमत है।

कार्यकारी आदेश 2021-18 (शमन के उपाय):

कार्यकारी आदेश 2021-18, निम्न अनुसार संशोधित और पुनरीक्षित,को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **18 सितम्बर, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 5: पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश। यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है। जो भी प्रावधान इस कार्यकारी आदेश के विपरीत नहीं हैं वे पूरी तरह से लागू रहेंगे।

भाग 2: बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 20 अगस्त, 2021 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 20 अगस्त, 2021